Hkkjr fuokZpu vk;ksx
fuokZpu lnu] v'kksd jksM] ubZ fnYyh &110001

la0 3@4@vkbZ Mh@2013@,l-Mh-vkj ¼jktLFkku½
fnukad % 12-11-2013

vkns'k

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 यह उपबंधित करती है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने के आलोक में, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को मत देने का अधिकार और प्रभावी बनाया जाए, निर्वाचकों को मतदान के समय अपनी पहचान स्थापित करने के साधन के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र के प्रयोग हेतु उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किए जाएं; और

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने तथा मतदान के समय उनकी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से यह निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है कि निर्वाचकों को जारी किए जाने वाले फोटो सहित निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र राज्य के खर्च पर होंगे; और

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49 ज (3) तथा 49 ट (2)(ख) यह निर्दिष्ट करता है कि जहां निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किए गए हैं, वहां निर्वाचक को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने या प्रस्तुत करने से मना करने के परिणामस्वरूप उन्हें मत डालने से रोका जा सकता है; और

4. यतः, उक्त अधिनियम एवं नियम के उपर्युक्त उपबंधों के समन्वित एवं सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि, मतदान का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के विद्यमान होने से ही प्राप्त होता है, फिर भी मतदान के समय अपनी पहचान स्थापित करने के साधन के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के खर्च पर उपलब्ध कराए गए निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र का इस्तेमाल किए जाने पर भी निर्भर करता है, और यह कि दोनों का इस्तेमाल एक साथ किया जाना है; और

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 28 अगस्त, 1993 के आदेश द्वारा सभी निर्वाचकों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी करने के निदेश दिए थे; तथा

6. यतः, राजस्थान राज्य में 99ः से अधिक रजिस्ट्रीकृत निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र (एपिक) जारी कर दिए गए हैं; और

7. यतः, आयोग ने राजस्थान राज्य में निर्वाचक नामावली के फार्मेट में निर्वाचक के अन्य विवरणों के साथ निर्वाचक के फोटो को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया है; तथा राजस्थान विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के दौरान 99ण्27ः पंजीकृत निर्वाचकों की फोटो युक्त, फोटो निर्वाचक नामावली प्रयोग की जाएंगी; और

8. यतः, इसके अतिरिक्त आयोग ने फोटो निर्वाचक नामावली के डाटाबेस से 'प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची' को तैयार करने तथा इन प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्चियों को मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पहचान के लिए राजस्थान विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि से पहले निर्वाचकों में वितरित करने का निदेश दिया है;

9. अतः, अब, सभी सुसंगत तथ्यों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा दिनांक 05.11.2013 को अधिसूचित राजस्थान विधानसभा के साधारण निर्वाचन के लिए, यह निदेश देता है किः

क. राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के ऐसे सभी निर्वाचकों को, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किया गया है, मतदान केन्द्र पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्रस्तुत करना है;

ख. जो निर्वाचक किसी कारणवश, उन्हें जारी निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, और जिन्हें अभी तक निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र नहीं जारी किया गया है उन्हें अपनी पहचान के लिए, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी 'प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची' प्रस्तुत करनी होगी;

ग. इस उद्देश्य से, ऐसे सभी निर्वाचकों को, जिनके फोटो निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हैं, उन्हें मतदान के दिन से कुछ दिन पहले 'प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची' वितरित की जाएंगी;

घ. रिटर्निंग अधिकारी मतदान अवधि के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर एक अधिकारी को प्रमाणीकृत फोटो मतदान पर्चियों की एक अतिरिक्त प्रति के साथ ड्यूटी पर तैनात करेगा ताकि यदि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र पर अपना प्रमाणीकृत फोटो मतदान पर्ची नहीं लाता है तो वह अपने प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची की प्रति मतदान केन्द्रों के बाहर से प्राप्त कर ले;

ड. यदि ऐसा कोई निर्वाचक, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किया गया है, अपना निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र अथवा प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसे निर्वाचक उपर्युक्त (घ) में यथा–उल्लिखित मतदान केन्द्र के बाहर तैनात अधिकारी से डुप्लीकेट फोटो मतदाता पर्ची प्राप्त करेगा तथा इसे प्रस्तुत करेगा;

(च) जिन निर्वाचकों को अभी तक निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी नहीं किया गया है या जिनके फोटो निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नहीं हैं या जिनके फोटो का मिलान नहीं होता है उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

(प) पासपोर्ट।

(पप) ड्राइविंग लाइसेंस।

(पपप) केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कार्मिकों को जारी फोटो–युक्त सेवा पहचान–पत्र।

(पअ) बैंक/डाक घर द्वारा जारी फोटो–युक्त पास बुक।

(अ) पैन कार्ड।

(अप) आधार कार्ड।

(अपप) एन पी आर के अधीन आर जी आई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।

(अपपप) मनरेगा जॉब कार्ड

(पग) श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।

(ग) फोटो–युक्त पेन्शन दस्तावेज।

10. उपरोक्त पैरा 9 में किसी भी बात के होते हुए भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर, निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हुए प्रवासी निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा (और किसी अन्य पहचान दस्तावेज से नहीं)।

¼vk'kh"k pd:orh½

Lkfpo